अनुबंध II

परिभाषाएं

इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

1. "कॉल मुद्रा" का अर्थ है निधियों में एकदिवसीय सौदे।
2. "नोटिस मुद्रा" का अर्थ है 2 - 14 दिवसों के लिए निधियों में सौदे।
3. "मीयादी मुद्रा" का अर्थ है 15 दिवसों से 1 वर्ष के लिए फंड में सौदे।
4. “पखवाड़ा” रिपोर्टिंग शुक्रवार के आधार पर होगा और इसका इसका अर्थ है, शनिवार से शुरू होकर उसके बाद आनेवाले दूसरे शुक्रवार तक की अवधि जिसमें दोनों दिन शामिल हैं।
5. “बैंक” या “बैंकिंग कंपनी” का अर्थ है बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड 5 में परिभाषित है या “संबंधित नया बैंक”, “भारतीय स्टेट बैंक” या “अनुषंगी बैंक” जैसाकि अधिनियम के क्रमश: खंड(डीए), खंड(एनसी) और खंड(एनडी) में परिभाषित किया गया है और उस अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 के खंड (सीसीआई) में परिभाषित “सहकारी बैंक” शामिल हैं।
6. "अनुसूचित बैंक" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक ।
7. “प्राथमिक डीलर (पीडी)” का अर्थ है वह वित्तीय संस्था जिसके पास रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पीडी के रूप में प्राधिकरण का वैध पत्र हो।
8. "पूंजीगत निधि" का अर्थ है संस्था के नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में प्रकट किए गए अनुसार टियर I और टियर II पूंजी का योग ।
9. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार, पीडी के लिए एनओएफ़ की गणना (क) कंपनी के नवीनतम तुलन-पत्र में प्रकट किए गए अनुसार चुकता ईक्विटी पूंजी तथा मुफ्त आरक्षित निधि के समग्र के रूप में की जाती है जिसमें से (i) हानि के संचित शेष; (ii) आस्थगित राजस्व व्यय; तथा (iii) अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाने के बाद आगे उसमें से (ख) इन राशियों यथा (1) ऐसी कंपनी का (i) अपनी सहयोगी; (ii) उसी समूह की कंपनियों (iii) सभी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शेयर के रूप में निवेश तथा (2) डिबेंचर, बाण्ड, बकाया ऋण एवं अग्रिमों के बही मूल्य (किराया-खरीद और पट्टा वित्त सहित) को उस सीमा तक कम कर दिया जाता है जो (i) ऐसी कंपनी की सहायक कंपनियों; तथा (ii) उसी समूह की कंपनियों में किए गए हों/ को दिए गए हों अथवा उनमें जमाराशि के रूप में इस सीमा तक रखे गए हों कि वह उपर्युक्त (क) के दस प्रतिशत से अधिक हो।

***